# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी,एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

**पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
**राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 88/2022**
**CMS NO. : 2022/190**

| –: प्रार्थीगणः– | बनाम | –: अप्रार्थी :– |
|---|---|---|
| 1. पारससिंह पुत्र बेनसिंह<br>2. कमला पुत्री बेनसिंह<br>3. सुशिला पुत्री बेनसिंह<br>4. पुष्पा पुत्री बेनसिंह फौत के का0मु0<br>4/1. ममता पुत्री पुष्पा पुत्री बेनसिंह<br>4/2. नर्बदा पुत्री पुष्पा पुत्री बेनसिंह<br>4/3. चितम्बरा पुत्री पुष्पा पुत्री बेनसिंह<br>जातिगण– पुरोहित, निवासीगण– तालकिया, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0। | | 1. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार, तहसील– जैतारण जिला–पाली |

## रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

**तारीख रजू:. 13/06/2022**

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. सरकार राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 21/02/2023**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा तालकिया पटवार हल्का पिपलिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 396/107 रकबा 0.5341 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 400/107 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402/107 रकबा 0.6474 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 403/107 रकबा 0.5665 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 427/264 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता, खसरा नम्बर 328 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 434/330 रकबा 6.8473 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33/400 रकबा 1.03[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33/401 रकबा 5.6008 हैक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible]40 रकबा [illegible].4174 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 1.4326 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 1.1726 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276 रकबा 16.1793 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 213 रकबा 2.6143 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 430/52 रकबा 1.314 हैक्टेयर कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

आई हुई है। प्रार्थीगण माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल चालू जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण के दादा भीमसिंह का देहान्त होने पर जरिये फौतदगी म्युटेशन के उक्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता का घरेलू एवं बोलचाल की भाषा में लाड प्यार से लिये जाने वाला नाम खसरान नम्बर 396/107, 400/107, 402/107, 403/107, 40, 215, 430, 430/52 के राजस्व रेकर्ड में वेनसिंह पुत्र भीवसिंह व खसरा नम्बर 276, 214, 210, 33, 33/399, 33/400, 33/401, 212, 213 के राजस्व रेकर्ड में बनेसिंह पुत्र भीवसिंह व खसरा नम्बर 209 के राजस्व रेकर्ड में वनेसिंह पुत्र भीमसिंह तथा खसरा नम्बर 328, 434/300 के राजस्व रेकर्ड में बेनसिंह पुत्र भीकसिंह का इन्द्राज कर दिया गया जो गलत है। जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही व वास्तविक तथा दस्तावजी नाम बेनसिंह पुत्र भीमसिंह है। प्रार्थीगण के परिवार आधार कार्ड, बैंक एकाउन्ट, परिचय पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजात् में प्रार्थीगण के पिता का नाम बेनसिंह पुत्र भीमसिंह दर्ज है जो दस्तावेजात् प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त दिनांक 11.05.2015 को हो चुकी है। इसलिये प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत वेनसिंह पुत्र भीवसिंह, बनेसिंह पुत्र भीवसिंह, वनेसिंह पुत्र भीमसिंह, बनेसिंह पुत्र भीकसिंह दर्ज होने से प्रार्थीगण को कई प्रकार की कठिनाईयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा प्रार्थीगण अपने नाम से फौतेदगी नामान्तरण करवाकर किसान क्रेडिट कार्ड, नहीं बनवा सकते है तथा न ही केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। प्रार्थीगण ने अपने पिता के हक हिस्से की भूमि में जरिये फौतेदगी नामान्तरण के अपना नाम दर्ज करवाने हेतू दिनांक 10.03.2022 को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब प्रार्थीगण को सर्व प्रथम जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता का गलत नाम वेनसिंह पुत्र भीवसिंह, बनेसिंह पुत्र भीवसिंह, वनेसिंह पुत्र भीमसिंह, बनेसिंह पुत्र भीकसिंह दर्ज है तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को आवेदन पत्र पेश कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने पिता के गलत नाम वेनसिंह पुत्र भीवसिंह, बनेसिंह पुत्र भीवसिंह, वनेसिंह पुत्र भीमसिंह, बनेसिंह पुत्र भीकसिंह के स्थान पर संशोधन कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम बेनसिंह पुत्र भीमसिंह दर्ज करने हेतू निवेदन किया तो अप्रार्थी ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया एवं न्यायालय के आदेश से ही राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने का कथन किया। इसलिये प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थीगण की आराजीयात् ग्राम तालकिया तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में स्थित होने से उक्त आवेदनपत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाब प्रार्थनापत्र तलब किया गया। प्रतिवादी सरकार जरिए सरकार राज तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है कि सरहद मौजा तालकिया के खसरा नम्बर 396/107, 400/107, 403/107, 427/264, 328, 434/300, 33, 33/299, 33/400, 33/401, 40, 210, 214, 276, 209, 212, 213,

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

15, 430/52 वादीगण के पिता की खातेदारी भूमि है। सही है कि वादीगण के पिता ग नाम जरिये विरासत नामान्तरण से अलग अलग खसरा नम्बर में अलग अलग ाम वेनसिंह, बनेसिह, बनेसिंह एवं बेनसिंह दर्ज है। पद संख्या 3 में वर्णित तथ्य ादीगण स्वयं साबित करें। शेष पद में वर्णित तथ्य न्यायालय से सम्बधित है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय स्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष पर गौर र मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा तालकिया पटवार हल्का पेपलिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित खसरा नम्बर 396/107, 400/107, 403/107, 427/264, 328, 434/300, 33, 33/299, 33/400, 33/401, 40, 210, 214, 276, 209, 212, 213, 215, 430/52 प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जा काश्त कृषि भूमि है। प्रार्थीगण के दादा भीमसिंह के देहान्त होने पर जरिये फौतदेगी म्युटेशन पारित करते समय उक्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता बेनसिंह पुत्र भीमसिंह का घरेलू एवं बोलचाल की भाषा का नाम खसरान नम्बर 396/107, 400/107, 402/107, 403/107, 40, 215, 430, 430/52 के राजस्व रेकर्ड में वेनसिंह पुत्र भीवसिंह व खसरा नम्बर 276, 214, 210, 33, 33/399, 33/400, 33/401, 212, 213 के राजस्व रेकर्ड में बनेसिंह पुत्र भीवसिंह व खसरा नम्बर 209 के राजस्व रेकर्ड में वनेसिंह पुत्र भीमसिंह तथा खसरा नम्बर 328, 434/300 के राजस्व रेकर्ड में बेनसिंह पुत्र भीकसिंह का इन्द्राज कर दिया गया जो कि गलत है। प्रार्थीगण के पिता का सही, वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम बेनसिंह पुत्र भीमसिंह है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर इसी अनुरूप भू अभिलेख दुरूस्त किया जावें।

2. अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि सरहद मौजा तालकिया के खसरा नम्बर 396/107, 400/107, 403/107, 427/264, 328, 434/300, 33, 33/299, 33/400, 33/401, 40, 210, 214, 276, 209, 212, 213, 215, 430/52 वादीगण के पिता की खातेदारी भूमि है तथा वादीगण के पिता का नाम जरिये नामान्तरण से अलग अलग खसरा नम्बर में अलग अलग नाम वेनसिंह, बनेसिंह, वनेसिंह एवं बनेसिंह दर्ज है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम तालकिया तहसील जैतारण की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 209 में **"वनेसिंह पुत्र भीमसिंह"**, खसरा नम्बर 212, 213, 214, 276, 210 में **"बनेसिंह पुत्र भीवसिंह"**, खसरा नम्बर 328, 434/330, 427/264, 33, 33/399, 33/400, 33/401 में **" बेनसिंह पुत्र भीकसिंह"**, खसरा नम्बर 396/107, 400/107, 402/107, 403/107, 215, 40, 430/52 में **"वेनसिंह पुत्र भीवसिंह"** बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपने पिता के अन्य दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, भारत निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

र्थीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता का
म **बेन** सिंह पुत्र भीम सिंह अंकित है।

. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण के दादा भीमसिंह के देहान्त पश्चात् फौतेदगी
युटेशन पारित करते समय तत्कालिन राजस्व कार्मिक द्वारा प्रार्थीगण के पिता बेनसिंह
त्र भीमसिंह का घरेलू एवं बोलचाल की भाषा में लाड प्यार से लिये जाने वाला नाम
नसिंह, बनेसिंह, वनेसिंह तथा बनेसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया जो कि एक
ाग एन्ट्री है। जिसे प्रार्थीगण जरिये शुद्ध दुरूस्त करवानें के अधिकारी है।

. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध
स्तावेजात्, जमाबन्दियों से यह स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार
र्ज ''वेनसिंह पुत्र भीवसिंह'', ''बनेसिंह पुत्र भीवसिंह'', ''वनेसिंह पुत्र भीमसिंह'',
नेसिंह पुत्र भीकसिंह'' तथा बेनसिंह पुत्र भीमसिंह वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा
खातेदार का सही एवं वास्तविक बेनसिंह पुत्र भीमसिंह है। प्रत्येक खातेदार का यह
ाथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू–अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि
हित एवं शुद्ध हो। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना विधि संगत एवं
उचित होगा।

***–:: आदेश ::–***

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थीगण–प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा– तालकिया, पटवार हल्का– पिपलिया खुर्द, भू अभिलेख क्षेत्र– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला –पाली, राज0 के वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 396/107, 400/107, 402/107, 403/107, 427/264, 328, 434/330, 33, 33/399, 33/400, 33/401, 40, 210, 214, 276, 209, 212, 213, 215, 430/52 में बतौर खातेदार दर्ज प्रार्थीगण के पिता के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टियां ***''वेनसिंह पुत्र भीवसिंह'', ''बनेसिंह पुत्र भीवसिंह'', ''वनेसिंह पुत्र भीमसिंह'', बनेसिंह पुत्र भीकसिंह''*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम **''बेनसिंह पुत्र भीमसिंह''** दर्ज करते हुये दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू–अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 21/02/2023 को सर–ए–आम सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)